



भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड

ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

42 माइलस्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे, एन.एच.-2, सीकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा-121004

42, Milestone, Delhi-Agra Highway, NH-2, Sikri, Ballabhgarh, Haryana-121004

ई-मेल/Email: support@awbi.gov.in | वेबसाइट/Website: www.awbi.gov.in

No.: 02018/17/2026-AWBI

सेवा में / To,

सभी संबंधित मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन, जिनमें गौशालाएं भी शामिल हैं
(वैध/नवीनीकृत मान्यता वाले संगठनों को छोड़कर)

**All concerned recognized Animal Welfare Organizations, including
Gaushalas (excluding those having valid/renewed recognition)**

विषय / Subject: भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई मान्यता के
नवीनीकरण के संबंध में - अंतिम अवसर। **Renewal of Recognition
granted by the Animal Welfare Board of India – Final
Opportunity.**

संदर्भ / Reference:

AWBI के पत्र दिनांक 27.05.2022, 23.06.2023, 15.05.2024 एवं 20.02.2025।

AWBI letters dated 27.05.2022, 23.06.2023, 15.05.2024 and 20.02.2025.

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है तथा पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों, जिनमें पशु कल्याण संगठन (AWOs), गौशालाएं एवं पिंजरापोल आदि शामिल हैं, को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान करता है। The Animal Welfare Board of India (AWBI) is a statutory body established under Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and grants recognition, subject to the prescribed terms and conditions, to eligible organizations working in the field of animal welfare, including Animal Welfare Organizations (AWOs), Gaushalas and Pinjrapoles, etc.

2. बोर्ड के निर्णय के अनुसार, मान्यता प्राप्त संगठन को प्रत्येक पांच वर्ष की मान्यता अवधि पूर्ण होने पर अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। बहुउद्देशीय गतिविधियों वाले AWOs के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹5,000/- है, जबकि गौशालाओं के लिए नवीनीकरण शुल्क लागू नहीं है। मान्यता के नवीनीकरण सहित संबंधित सेवाओं के लिए बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल www.awbi.gov.in उपलब्ध है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। As per the decision of the Board,

every recognized organization is required to renew its recognition upon completion of the **five-year** recognition period. The renewal fee for AWOs having multi-purpose activities is **₹5,000/-**, whereas no renewal fee is applicable for Gaushalas. The Board's online portal www.awbi.gov.in is available for renewal of recognition and other related services, and applications shall be accepted only through the online mode.

3. ऑनलाइन प्रणाली तक पहुंचने के लिए **NITI Aayog Unique ID** अनिवार्य है। जिन मान्यता प्राप्त संगठनों को लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त नहीं हुए हैं, वे support@awbi.gov.in पर बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। जिन संगठनों के पास NITI Aayog Unique ID नहीं है, उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने से पूर्व उक्त Unique ID प्राप्त करनी होगी। A **NITI Aayog Unique ID** is mandatory for accessing the online system. Recognized organizations which have not received their login credentials may contact the Board at support@awbi.gov.in. Organizations not having a NITI Aayog Unique ID are required to obtain the same before seeking login credentials from the Board.

4. बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक **27.05.2022, 23.06.2023, 15.05.2024 एवं 20.02.2025** के माध्यम से मान्यता की अवधि पूर्ण कर चुके संगठनों को मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के लिए सूचित किया जा चुका है। तथापि, अभिलेखों के अनुसार, ऐसे अनेक संगठनों से, जिनकी पांच वर्ष की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है, नवीनीकरण हेतु आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। The Board had earlier, vide communications dated **27.05.2022, 23.06.2023, 15.05.2024 and 20.02.2025**, advised organizations whose recognition period had expired to apply for renewal. However, as per the records available with the Board, renewal applications have still not been received from a large number of organizations whose five-year recognition period has expired.

5. अतः संबंधित संगठनों को **अंतिम अवसर** प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवश्यक शुल्क सहित अपना ऑनलाइन आवेदन **09 अक्टूबर 2026 तक** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा संबंधित संगठन की मान्यता **रद्द/वापस लेने (de-recognition)** के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। Accordingly, as a **final opportunity**, the concerned organizations are hereby directed to submit their online application for renewal of recognition, along with the requisite fee, **on or before 09 October 2026**. In case the application is not received by the stipulated date, the Board shall take necessary action, as per applicable rules/procedure, for **cancellation/withdrawal of recognition (de-recognition)** of the concerned organization.

6. किसी भी कठिनाई/समस्या के संबंध में बोर्ड के मुख्यालय से दूरभाष संख्या **0129-2555700** अथवा ई-मेल support@awbi.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। In case of any difficulty/problem, the Board's Headquarters may be contacted at **0129-2555700** or through e-mail at support@awbi.gov.in.

भवदीय / Yours sincerely,

(डॉ. एम. के. चौहान / Dr. M. K. Chauhan)

सचिव / Secretary